कार्यालय छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल,रायपुर

7, कैलाश रेसीडेन्सी, गीतांजली नगर, मीरादातार रोड, रायपुर
फोन नं.–0771–2443809, फैक्स–4045211

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनाक 08.05.2013

कमांक 01 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 11 (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन के अनुमोदन से एतद् द्वारा श्रम कल्याण मंडल के अभिदायदाता श्रमिकों के लिए निम्नांनुसार योजना बनाई जाती है :–

(अ) **योजना का प्रावधान –**

(i) योजना का नाम " **कौशल उन्नयन योजना 2013** " होगा –

(a) इस योजना के अंतर्गत किसी औद्योगिक संस्थान/स्थापना में कार्यरत विभिन्न ट्रेड जैसे – फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, ईलेक्ट्रीशियन, फर्नेन्सं ऑपरेटर, इन्स्टूमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक के ऐसे श्रमिक जो किसी स्थापना में वर्षो से अपने अनुभव के आधार पर कार्यरत है परन्तु किसी मान्यता प्राप्त सस्थान के प्रमाण–पत्र के अभाव में उन्हें कुशल श्रेणी से वंचित रखा गया है इन श्रमिको को लाभ प्रदाय किया जावेगा।

(b) इस योजना के अतंर्गत कम्प्यूटर एवं स्पोकन इंगलिश का प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसमें संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की पुत्री/पत्नी जिनकी आयु सीमा 16 से 35 वर्ष हो पात्र होगें एवं प्रशिक्षण चयनित श्रम कल्याण केन्द्र में दिया जावेगा।

(ii) इन श्रमिकों को आई.टी.आई. अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा।

(iii) इस योजना का लाभ संगठित क्षेत्र की स्थापनाओं/औद्योगिक सस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों को प्रदाय किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगें।

(ब) **योजना हेतु पात्रता –**

(i) आवेदक स्थापना का अभिदायदाता श्रमिक हो और उसने न्यूनतम तीन वर्षो या अधिक की अवधि हेतु अभिदाय जमा किया हो।

(ii) आवेदक की मासिक आय रू. 10000/– से अधिक न हो।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया –

(i) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में मंडल कार्यालय मे नियोक्ता की टीप के साथ नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(द) अन्य विवरण –

(i) इस योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के सबध मे यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति मे अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(राजेश श्रीवास्तव)
कल्याण आयुक्त
छ.ग. श्रम कल्याण मडल
रायपुर

पृ. कमांक एफ 10–18/2012/16 | 735-746 रायपुर, दिनांक 8.5.13

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) ।
02. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
03. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
04. निज सचिव, अपर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
06. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.) ।
06. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.) ।
07. सहायक श्रमायुकत/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ..... (छ.ग.)।
08. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..... (छ.ग.)।

(राजेश श्रीवास्तव)
कल्याण आयुक्त
छ.ग. श्रम कल्याण मंडल
रायपुर